मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

कमांकः सी–6–1 –2011–3–एकः **भोपाल, दिनांक 3 फरवरी, 2011**

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल,मध्यप्रदेश ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश.

विषयः–विभागाध्यक्षों को उनके अधीनस्थ द्वितीय श्रेणी शासकीय सेवकों के मामले में लघुशास्ति के अधिकार।

संदर्भः–सा.प्र.विभाग का आदेश क सी–6–3–1983–3–1, दिनांक 12.09.1983

सामान्य प्रशासन विभाग के संदर्भित आदेश दिनांक 12.09.1983 द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 12 के उपनियम (2) के अधीन राज्य के संलग्न सूची के अनुसार विभागाध्यक्षों को उनके अधीन द्वितीय श्रेणी के राज्य सिविल पद पर कार्यरत किसी अधिकारी पर उक्त नियमों के नियम 10 में विनिर्दिष्ट लघुशास्तियां अधिरोपित करने हेतु सशक्त किया गया था जिसके साथ तत्समय अस्तित्व में रहे विभागाध्यक्षों की सूची भी आदेश के साथ संलग्न की गयी थी।

2– उपरोक्त आदेश जारी किये जाने के पश्चात् सूची में नाम न होने से नवगठित विभागाध्यक्षों को उपरोक्तानुसार अधिकार का उपयोग करने में विधिक कठिनाई आ रही है। अतः शासन द्वारा आदेश दिनांक 12.09.1983 में अंकित शब्द **''संलग्न सूची के अनुसार''** विलोपित किये जाने का निर्णय लिया गया है। शासन द्वारा लिये गये निर्णयानुसार आदेश दिनांक 12.09.1983 में किये गये संशोधन आदेश की प्रति संलग्न है। इस संशोधन के फलस्वरूप अब राज्य के सभी विभागाध्यक्षों द्वारा उनके अधीन ~~द्वितीय श्रेणी के~~ राज्य सिविल पद पर कार्यरत द्वितीय श्रेणी अधिकारियों के विरूद्व मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 10 के पद (एक) से (चार) में विनिर्दिष्ट लघु शास्तियां अधिरोपित की जा सकेगी।

3/2/2011

(अकीला हशमत)
उपसचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

आदेश

भोपाल, दिनांक 3 फरवरी, 2011

कमांकः सी–6–1 –2011–3–एकः राज्य शासन द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्र. सी–6–3–1983–3–1, दिनांक 12.09.1983 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है, अर्थात् –

संशोधन

उक्त आदेश में, अंकित शब्द "संलग्न सूची के अनुसार" विलोपित किया जाय।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

3/2/2011

(अकीला हशमत)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग